: 23238542, 23236740 : 23238542, 23236740

E-mail ई-मेल

: 0091-011-23231252 : secretary@dciindia.org s www.dciindia.org



कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002 Alwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi - 110 002

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT 1948)

No.DE-226-M2-2018/ 5427

Dated the ²⁵ September, 2018

To

√All the Registrar of the State Dental Councils/ Dentists Registration Tribunals

Sub:- Implementation of

Continuing Dental Education Regulations, 2018. (i)

(i) Dental Council of India Revised Dentists (Code of Ethics) (2nd Amendment) Regulations, 2018.

Sir/Madam.

I am directed to enclose herewith a copy each of the (i) Continuing Dental Education Regulations, 2018 & (ii) Dental Council of India Revised Dentists (Code of Ethics) (2nd Amendment) Regulations, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 on 18.09.2018 & 19.09.2018 respectively for your kind perusal/information and implementation the same.

2. Kindly acknowledge the receipt of this letter immediately.

Encl:- As above

ours faithfully,

(Dr. Sabyasachi Saha) Secretary

Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi. 1. 2.

DE-97(2)-2018

Admission Section, DCI

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] No. 3551

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2018/भाद्र 27, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018/BHADRA 27, 1940

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-226-2017.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वाँ) की धारा 20 के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, और मूल "सतत दन्त शिक्षा विनियम, 2007" के अधिक्रमण में, सिवाय उक्त अधिक्रमण से पूर्व किए गए या करने से छोड़े गए बिन्तु, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों का गठन करती है:-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- 1.1. इन विनियमों को सतत दन्त शिक्षा विनियम, 2018 कहा जा सकता है।
- 1.2. ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
- 2. परिभाषाएँ- इस विनियम में, बशर्ते कोई चीज विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, -
 - 2.1. "सीडीई" का अर्थ व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यावहारिक अनुभव, दन्त पेशेवरों और पैरा-डेंटल स्टाफ़ के प्रशिक्षण के संबंध में किसी ऐसी गतिविधि से है जिसका परिणाम रोगी देखभाल और पेशेवराना रवैये की बेहतरी की दिशा में दन्त पेशेवरों के ज्ञान, कौशल एवं रवैये को प्रभावित करने वाले ज्ञान की प्रदायगी, सुधार, वर्धन, वृद्धि और उन्नति के रूप में मिलता हो।
 - 2.2. "सीडीई प्रदाताओं" में दन्त विभागों वाले सभी डीसीआई/एमसीआई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकारी संस्थाएँ एवं सशस्त्र बल शामिल हैं। सीडीई प्रदाताओं, जैसे पेशेवर संघों एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञता संगंठनों, को उनके तत्वावधान में आयोजित बैठकों एवं सम्मेलनों हेतु सीडीई पॉइंट प्रदान किए जाने के लिए डीसीआई/राज्य दन्त परिषदों के समक्ष आवेदन करना होगा, और यह अनुमोदन 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जो समीक्षा के अधीन है।

सीडीई कार्यक्रमों का सुप्रचालन एवं प्रबंधन

सीडीई का मूल उद्देश्य रोगी देखभाल एवं पेशेवर रवैये की बेहतरी के लिए दन्त चिकित्सकों के कौशल एवं रवैये को उन्नत करना है, और इसलिए इसका आयोजन अकादमिक परिवेश में और समय एवं शुल्क आदि की दृष्टि से प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना बेहतर है।

4. सीडीई कार्यक्रमों के प्रकार

यदि सीडीई का परिणाम निम्नलिखित में से किसी भी एक/अधिक/सभी प्रारूपों में दन्त पेशेवरों को ज्ञान प्रदान करने, उसमें सुधार, वर्धन, वृद्धि एवं उन्नति करने के रूप में प्राप्त होता है, तो सीडीई को मान्य माना जाएगा

5513 GI/2018

- 4.1. व्याख्यान व्याख्यान किसी प्रस्तुतिकरण सॉफ़्टवेयर, यथा पॉवर पॉइंट, कीनोट, ओएचपी आदि में होना चाहिए
- 4.2. व्याख्यान-सह-प्रदर्शन प्रदर्शन टायपोडोंट वाँतों या निष्कर्षित वाँतों पर होना चाहिए
- 4.3. रोगियों पर सजीव प्रदर्शन केवल पंजीकृत दन्त शल्यचिकित्सक द्वारा किया जाएगा*
- 4.4. अनुकार (सिमुलेशन) प्रशिक्षण (व्याख्यान के साथ)
- 4.5. वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग
- 4.6. वेबिनार
- 4.7. मॉडरेटर के साथ वीडियो व्याख्यान
- 4.8. कौशल वर्धन के लिए कोई व्यावहारिक गतिविधि
- 4.9. समय-समय पर डीसीआई द्वारा विहित एवं स्वीकृत की जा सकने वाली ऐसी अन्य कोई विधा जो पेशेवरों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती हो और उनमें सुधार, वर्धन, वृद्धि, एवं उन्नति करती हो।

*किसी भी राज्य दन्त परिषद में पंजीकृत। विवेशी शिक्षक को छारा 34(2)(b) के अंतर्गत भारतीय दन्त परिषद से अस्यायी पंजीयन लेना

5. भारत में सतत बन्त शिक्षा/बन्त शिक्षा का वैश्विक परिप्रेक्य:

- 5.1. भारत का जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल अब बदल कर कम जन्म दर, कम मृत्यु दर वाला हो रहा है, एवं जनसंख्या के 1.6 अरब पर जाकर स्पिर हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या की आयु संबंधी प्रोफ़ाइल के 2025 तक बदल जाने का अनुमान है जिसमें 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या में कमी आएगी, पर साथ-ही-साथ 60 वर्ष तक के और 60 वर्ष से अधिक की आयु के वयस्कों की जनसंख्या में भी एक आनुपातिक वृद्धि होगी। इस बदलती जनसांख्यिक प्रोफ़ाइल के साथ-साथ रोग पैटर्न भी निश्चित रूप से बदलेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरकता के स्तरों में वृद्धि होगी, व्यक्ति और सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया जाएगा। भारत के परिप्रेक्य में रोगी केंद्रित और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य देखभाल मॉडल स्पष्ट होता जा रहा है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि और विकास के एक अग्रणी शक्ति-स्रोत के रूप में भारत के उभार के कारण जनता, नीति नियोजकों और शीर्षक नियामक संस्था डीसीआई, इन सभी की ओर से दन्त स्वास्थ्य देखभाल एवं शैक्षिक परिदृश्य का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है।
- 5.2. उच्चतर शिक्षण के दन्त संस्थानों में हो रही तीव वृद्धि और प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक प्रगति की तीव गति के कारण जहाँ दन्त चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात में लगातार सुधार आ रहा है, वहीं दन्त चिकित्सालय में एचआईवी/एड्स, हेपेटाइटिस के बढ़ते ख़तरे और पार-संदूषण के बढ़ते जोख़िम सतत दन्त शिक्षा का एक ऐसा तंत्र अनिवार्य बनाते हैं जो दन्त चिकित्सक को वर्तमान ज्ञान एवं कौशल की दृष्टि से जागरक रखे, और ऐसा करके देखभाल के मानकों में वर्धन करे और साथ-ही-साथ भारतीय दन्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को वैश्विक मॉडल पर भी लेकर आए।

6. सतत दन्त शिक्षा के लिए पाँईट व्यवस्था का कार्यान्वयन

- 6.1. भारत के दन्त चिकित्सकों के लिए एक सीडीई क्रेडिट पॉइंट व्यवस्था होगी और प्रत्येक दन्त चिकित्सक समय-समय पर संबंधित राज्य दन्त परिषद को सूचित करेगा, अन्यथा इसे "संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014" के उपबंधों
- 6.2. प्रत्येक दन्त चिकित्सक को हर 5 वर्ष की अवधि के अंदर कुल 100 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने होंगे, बशर्ते प्रति वर्ष न्यूनतम 20 क्रेडिट पॉइंट तथा अधिकतम 25 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त किए जाएँ। पाँच वर्षों में कुल 100 क्रेडिट पॉइंट में से, बीस क्रेडिट पॉइंट निम्नलिखित अनिवार्य विषय-बिंदुओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे (प्रत्येक विषय-बिंदु के लिए पाँच क्रेडिट पाँइंट):
 - 6.2.1. अपूर्ति (एसेप्सिस), संक्रमण नियंत्रण एवं अवशिष्ट प्रबंधन, एनएसीओ प्रोटोकॉलों सहित
 - 6.2.2. दन्त न्यायशास्त्र एवं नैतिकता
 - 6.2.3. सीपीआर एवं आधारभूत जीवन सहयोग
 - 6.2.4. दन्त अभ्यास प्रबंधन -
- 6.3. यदि किसी दन्त चिकित्सक ने 5 वर्षों के आवंटित समय के अंदर कम-से-कम 75 सीडीई पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं, और यदि किसी कारणवश वह निर्धारित समय के अंदर अनिवार्य 100 सीडीई पॉइंट प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसे वे प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अनुकंपा अवधि प्रदान की जा सकती है। हालांकि, यदि दन्त चिकित्सक 5 वर्ष की अवधि के अंदर 75 से कम सीडीई पाँईट प्राप्त करता है तो इसे अनैतिक कृत्य माना जाएगा एवं तदनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

7. सीडीई पॉइंट प्रदान करना

7.1. क्रेडिट पॉइंट निम्नवत प्रदान किए जाएंगे:

7.1.1.	पूरे दिन का व्याख्यान या सम्मेलन (6 घंटे)	
	आधे दिन का व्याख्यान या कार्यशाला (3 घंटे)	6 सीडीई पॉइंट
		3 सीडीई पॉइंट
7.1.4.	सायंकालीन उत्पाद परिचय/व्याख्यान व्यापारिक सभा (60 मिनट)	1 सीडीई पॉइंट
	60 मिनट का वेबिनार, प्रश्नोत्तरी सहित	1 सीडीई पॉइंट

(वेबिनार हेतु पॉइंट प्रश्न का उत्तर दे देने के बाद ही दिए जाएंगे)

7.1.5. 60 मिनट की वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग

1 सीडीई पॉइंट

(केवल कॉन्फ़रेंस के दौरान)

7.1.6. मॉडरेटर के साथ 60 मिनट का बीडियो व्याख्यान

1 सीडीई पॉइंट

(i) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों की अनुरूपता में एक क्रेडिट पॉइंट एक घंटे के सीडीई कार्यक्रम के समतुल्य होगा।

- (ii) क्रेडिट पॉइंट की अधिकतम दैनिक सीमा 6 है, भले ही कार्यक्रम 6 घंटे से अधिक समय तक चले।
- (iii) परास्नातक अर्हता वाले दन्त शिक्षक द्वारा किसी अनुमोदित/मान्यता प्राप्त दन्त महाविद्यालय में संचालित संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएँ भी सीडीई क्रेडिट पॉइंट प्रदान करने हेतु मान्य मानी जाएंगी।

7.2 वक्ता दोगुने सीडीई क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने के पात्र हैं।

8. खुट

- 8.1. 65 वर्ष से अधिक आयु वाले दन्त चिकित्सक।
- 8.2. किसी दन्त महाविद्यालय में कार्यरत एमडीएस अईता वाले दन्त शिक्षक जो परास्नातक उपाधि दन्त शिक्षा प्रदान कर रहे हों एवं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त दन्त महाविद्यालय में एमडीएस अध्यापन का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।
- 8.3. परास्नातक विद्यार्थी, उनके पाठ्यक्रम के दौरान।*
- 8.4. गर्भावस्था एवं प्रसव के लिए एक वर्ष की छूट दी जाती है।**
- 8.5. 5 वर्षों की किसी भी अवधि पर विचार किए जाने के लिए, संबंधित राज्य दन्त परिषद को किसी भी दन्त चिकित्सक के संबंध में गंभीर चिकित्सीय स्थिति*** की अवधि की छूट देनी होगी।
- * पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर करते हुए अधिकतम 60 क्रेडिट पॉइंट घटाए जा सकते हैं।
- ** 20 क्रेडिट पॉइंट घटाए जा सकते हैं।
- *** गंभीर चिकित्सीय स्थिति का राज्य के सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणन किया जाएगा।

9. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बक्ताओं का प्रत्यायन (बक्ता बैंक)

- 9.1. सीडीई कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारतीय दन्त परिषद / राज्य दन्त परिषद द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित/पंजीकृत हुए प्रत्यायित बक्ता सीडीई का संचालन करेंगे।
- 9.2. वक्ता (शैक्षिक संस्थानों के शिक्षक शामिल) आवश्यकतानुसार डीसीआई / राज्य दन्त परिषद के समक्ष अपने सीवी, ब्याख्यान का विवरण एवं (सजीव व्याख्यानों की) सीडी और साथ में राज्य दन्त परिषदों के उत्तम स्थिति प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 9.3. भारतीय दन्त परिषद / राज्य दन्त परिषद द्वारा नियुक्त समिति वक्ताओं का प्रत्यायन करेगी।
- 9.4. केवल डीसीआई / राज्य दन्त परिषद द्वारा प्रत्यायित वक्ताओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को ही सीडीई पॉइंट आवंटित किए
- 9.5. किसी भी वाणिज्यिक, औद्योगिक या प्रचार-प्रसार संबंधी हित के अस्वीकरण की घोषणा। इस संबंध में संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014 के बिंदु 8.15 के उपबंधों का संदर्भ लिया जा सकता है।

10. सीडीई क्रेडिट पॉइंट का आकलन तंत्र

- 10.1. केवल मान्य पेशेवरों, जिन्होंने संपूर्ण सीडीई गतिविधि में भाग लिया हो, को ही सीडीई क्रेडिट पॉइंट आवंटित हों यह सुनिश्चित करना कार्यक्रम का संचालन करने वाले सीडीई प्रदाता(ओं) का उत्तरदायित्व होगा। संगठन क्रेडिट पॉइंट शीघ्रता से आवंटित करने के लिएं इनमें से कोई भी उपाय अपना सकता है:
 - 10.1.1. प्रवेश और निकास के स्तर पर बार कोड
 - 10.1.2. वक्ता को व्याख्यान के आरंभ और अंत में एक कोड दिया जाएगा। कोड का लिफाफा व्याख्यान से ठीक पहले खोला जाएगा।
 - 10.1.3. संबंधित राज्य दन्त परिषद द्वारा नियुक्त एक प्रेक्षक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेगा। प्रेक्षक प्रत्येक सीडीई प्रमाणपत्र पर मान्यता हेतु अपने हस्ताक्षर करेगा।
- 10.2. संगठन उपस्थिति व्यक्तियों के संपूर्ण ऑकड़े कार्यक्रम से एक माह के अंदर राज्य परिषदों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, अन्यथा आवंटित सीडीई पाँइंट मान्य नहीं होंगे। साथ-साथ, राज्य दन्त परिषदें भी उपर्युक्त के अनुसार सीडीई पाँइंट के आवंटन का उचित आकलन (ऑनलाइन को वरीयता) सुनिश्चित करेंगी और इसके लिए एक क्रियाविधि विकसित करेगी।

सूचना निम्नलिखित प्रारूप में होगी:

क्रमांक	नाम	राज्य दन्त परिषद की	1.5		
		पंजीयन संख्या	माबाइल	ईमेल	राज्य परिषद द्वारा आवंटित सीडीई कोड

नोट: उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संगठन(नों) के, सीडीई प्रदाता के रूप में पंजीयन/की मान्यता, वापस लिया जा सकता/ली जा सकती है।

10.3 आंकलंन तंत्र एक स्व-धोषणा प्रारूप पर आधारित होगा जिसे चिकित्साभ्यासी द्वारा हर 5 वर्ष में डीसीआई / राज्य वन्त परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वह इंस अवधि में प्राप्त केडिट घंटों की संख्या का विवरण देगा, और यदि आवश्यक हो तो, प्रतिभागिता के प्रमाणपत्र, पंजीयन पावतियों आदि के रूप में उपस्थिति के प्रमाण प्रस्तुत करने की हस्ताक्षरित घोषणा देगा। राज्य वन्त परिषदों को सलाह दी जाती है कि वे सीडीई के सफल कार्यान्यवन के लिए इसके डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक विधि से अद्यतित करें। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक याद्विक संपरीक्षा तंत्र का प्रयोग किया जाएगा।

11. सीडीई प्रवाताओं के रूप में दन्त महाविद्यालयों की भूमिका

सभी डीसीआई मान्यता-प्राप्त दन्त संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे सतत दन्त शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग गठित करें जिसमें एक पदनामित शिक्षक को नियुक्त किया जाए। उक्त विभाग संबंधित राज्य की सीडीई गतिविधियों के लिए नोडल केंद्र का कार्य करेंगे। महाविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे हर तिमाही में नैदानिक हित का कम-से-कम एक सीडीई कार्यक्रम संचालित करें, इनमें आवश्यक क्षेत्र यथा पेशेवर नैतिकता, जैव-चिकित्सीय अवशिष्ट प्रवंधन, संक्रमण नियंत्रण, आधारभूत जीवन सहयोग तंत्र, विकिरण के ख़तरे की रोक्थाम, एनएसीओ प्रोटोकॉल आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दन्त महाविद्यालय प्रतिवर्ष कम-से-कम दो निःशुक्क सीडीई कार्यक्रम संचालित करेगा।

12. दूरस्थ / ऑनलाइन मोड से सतत दन्त शिक्षा

भारतीय दन्त परिषद और राज्य दन्त परिषद आधारभूत और उभरते हुए क्षेत्रों पर संस्थान आधारित ऑनलाइन सीडीई कार्यक्रम विकसित करेगी, और तदनुसार डीसीआई / राज्य दन्त परिषद उनके लिए सीडीई पॉइंट निर्धारित करेंगे।

13. किसी वर्ष विशेष में घंटों की एक निश्चित संख्या पूरी करने वालों के लिए प्रमाणन

13.1. राज्य दन्त परिषद अनुमोदित सीडीई गतिविधि के अनुसार, उपस्थित व्यक्तियों को उपस्थिति का प्रमाणपत्र जारी करेगी। सीडीई गतिविधि को डिप्लोमा/मास्टरशिप/परास्नातक/फ़लोशिप/परसेप्टरशिप/असिस्टेंटशिप के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रमाणपत्र पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न नहीं होना चाहिए।

- 13.2. अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और मान्य संगठनों, जो डीसीआई द्वारा अनुमोदित हों, के बलबूते उपचित हुए सीडीई पॉइंट को राज्य परिषदें मान्य सीडीई पॉइंट मान सकती हैं।
- 13.3. देश के बाहर किसी भारतीय संघ/संस्थान द्वारा सम्मेलन आयोजित किए जाने के मामले में, उस संबंधित राज्य दन्त परिषद द्वारा सीडीई पॉइंट दिए जाएंगे जहाँ उक्त संघ/संस्थान का सचिवालय स्थित है।
- 14. राज्य दन्त परिवदों और संस्थानों के लिए सीबीई प्रमाणन दिशा-निर्देश

प्रमाणपत्र की नमूनार्थ डिजाइन इस प्रकार है:-



नोट : प्रमाणपत्र पर प्रायोजकों के नाम या प्रतीक-चिह्न मुद्रित नहीं किए जाएंगे।

15. सीडीई पॉइंट के लिए स्व-आकलन प्रपत्र

भारतीय दन्त परिषद

स्ब-घोषणा

01.04.20 से 31.03.20 तक की पंचवर्षीय अवधि के लिए

- मैंने/मुझे उपर्युक्त पंचवर्षीय अवधि की अनिवार्य सीडीई आवश्यकता पूरी कर दी है/पूरी करनी है।
- मैंने/मैं सत्यापनीय सीडीई पॉइंट के समर्थन में आवश्यक प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं/करूंगा/गी।
- मैंने/मैं वर्ष में सीडीई पॉइंट अर्जित कर लिए हैं/करूंगा/गी।
- मैं सीडीई कार्यक्रम से अवगत हूँ और मैं सीडीई कार्यक्रम में भाग लूंगा/गी और जहाँ आवश्यक हो वहाँ संबंधित प्रलेख प्रस्तुत करूंगा/गी।

यहाँ ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास में सत्य व सही है।

नाम		

ंजीयन सं		

तेन	मोबाइल	

विनांकित:

हस्ताक्षर

16. राज्य दन्त परिषद की ओर से प्रशंसा संबंधित राज्य दन्त परिषद कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक संख्या में सीडीई कार्यक्रम संचालित करने वाले सीडीई वक्ताओं/सीडीई प्रदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करेगी।

> डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./231/18]

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-226-2017.—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the approval of the Central Governments, and in supersession of the Principal "Continuing Dental Education Regulations, 2007", except in respect of things, done or omitted to be done before such supersession, the Dental Council of India hereby makes the following regulations, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Continuing Dental Education Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Definitions.—In this Regulation, unless there is anything repugnant in the subject or context,-
 - "CDE" means, any activity in terms of lecture, demonstration, hands-on experience, training for dental professionals and para-dental staff resulting in imparting, improvement, enhancement, accentuate and advanced knowledge affecting knowledge, skill and attitude of dental professionals for the betterment of patient care and professionalism.
 - "CDE providers" include all DCI/MCI recognized teaching institutions having Dental Departments, Government Bodies, Armed Forces. CDE providers such as professional associations and national specialty organizations, will need to apply to the DCI/State Dental Councils for award of CDE points for meetings and conferences held under their aegis and this approval will be valid for a period of 5 years, subject to review.
- Logistics and management of Implementation of CDE programs

The core objective of the CDE is to enhance the skill and attitude of dentists for the betterment of patient care and professionalism thus it should preferably be held in academic environment, convenient to the participants in terms of timings, fee etc.

Types of CDE programs

CDE will be considered valid if it results in imparting, improvement, enhancement, accentuate and advanced knowledge of dental professionals in any one/more/all of the following format

- Lectures Lecture should be in some presentation software viz power point, keynote, OHP etc.
- (ii) Lecture cum demonstration Demonstration should be on typodont teeth or extract teeth
- (iii) Live demonstration on patients will be only done by registered dental surgeons *
- (iv) Simulation training (with lecture)
- (v) Video conferencing
- (vi) Webinar
- (vii) Video Lectures with moderator
- (viii) Any hands-on activity for skill enhancement.
- (ix) Any other mode which impart, improve, enhance, accentuate and advance knowledge and skill of the professionals as may be prescribed and accepted by the DCI from the time to time.
- * registered with any of the State Dental Councils. A foreign faculty has to have a temporary registration from the Dental Council of India u/s - 34 (2)(b)
- Continuing Dental Education/Dental Education in India in Global Perspective,: 5.
- The demographic profile of India is transitioning to a low birth, low death rate with the population set 5.1 to plateau at 1.6 billion. The age related profile of the population is set to change by 2025 with a decrease in the group below 15 years of age but with a proportionate increase in the adult age groups up to 60 years and above 60 years. The changing demographic profile is necessarily accompanied by changing disease patterns, increasing levels of education and health awareness, mere health spending by the Individual as well as the government. The patient centered and evidence based model of health care is becoming apparent in the Indian Context. The emergence of India as one the lead power house of economic growth and development in a globalized economy has led to a critical appraisal of the dental health care and educational scenario both from the public as well as the policy planners and the apex regulatory body, the DCI.
- While the Dentist population ratio has been steadily improving due to the exponential growth of 5.2 Dental Institutions of higher learning, the rapid pace of technological and scientific advances, the looming threat of HIV/AIDS, Hepatitis and risks of cross contamination in the dental clinic clearly mandate a system of continuing dental education to keep the Dental practitioner aware in terms of current knowledge & skills, thereby enhancing standards of care as well as projecting the Indian Dental Education and health care system onto a global model.
- 6. Implementation of a point system for continuing dental education
- There should be a CDE credit point system for dentists in India and each and every dentist shall 6.1 inform the respective State Dental Council from time to time otherwise, it would amount to a violation of the provisions of "Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014".

- Each and every dentist shall have to secure a total of 100 credit points within a period of every 5 6.2 years, provided a minimum of 20 credit points and a maximum of 25 credit points per annum. Out of the 100 credit points in five years, twenty credit points shall be earmarked for the following mandatory topics (five credit points for each topic):
 - Asepsis, infection control and waste management including NACO protocols
 - (II) Dental jurisprudence & Ethics,
 - (III) CPR and basic life support.
 - (iv) **Dental Practice Management**
- A grace period of one year may be awarded to a dentist, who has secured at least 75 CDE points in 6.3 the allotted time of 5 years, for securing requisite mandatory 100 CDE points, if he/she could not obtain the same within stipulated time period, due to any reason. However, obtaining less than 75 CDE points by a dentist in any 5 years block will be considered as an unethical act and will be

7. **Award of CDE points**

The credit points shall be awarded as follows:

(i)	Full day lockure or and		
	Full day lecture or conference (6 hours)	6 CDE	
(ii)	Half Day lecture or workshop (3 hours)	6 CDE points	
		3 CDE points	
(III)	Evening product introduction/lecture business i	manilan	
	(60 minutes)	1 CDE points	

(iv) Webinar with 60 minutes with Q&A 1 CDE point (points for webinar will be given only after answering the question)

(v) Video Conferencing with 60 minutes 1 CDE point (only during the conference)

(vi) Video Lecture with moderator with 60 minutes 1 CDE point

One credit point shall be equivalent to one hour of CDE programme in Note: conformity with prevailing international norms.

The maximum limit of credit points per day is 6, even if the program goes (ii) beyond 6 hours.

Seminars/workshops conducted in an approved/recognised dental college (III) by Dental teaching faculty with PG qualification, will also be considered for awarding CDE credit points

7.2 The speakers are eligible to obtain double CDE credit points.

Exemptions

- 8.1 Dentists above the age of 65 years.
- Dental teaching faculty with MDS qualification working in a Dental College imparting Post-8.2 Graduate degree dental education and having more than 15 years MDS teaching experience in any recognised dental college.
- 8.3 PG Students during the period of their course."
- 8.4 One year exemptions given for pregnancy and child birth**
- The period of serious medical condition*** in respect of any dentist has to be exempted by the respective State Dental Council for considering any block year of 5 years.
- *Maximum 60 credit points may be reduced depending on the period of the Course.
- ** 20 credit points may be reduced.
- ***Serious medical condition shall be duly certified by the competent Government Authority of the

Accreditation of National & International Speakers (Speakers Bank)

- CDE will be conducted by accredited speakers duly approved/registered with Dental Council of India / State Dental Council to conduct CDE programmes.
- Speakers (including the teaching faculty in the educational institutions) shall make an 9.2 application to the DCI / State Dental Council furnishing their CV'S, Lecture details and the CD (of live lectures) alongwith Good Standing Certificate from the State Dental Councils to DCI /
- Accreditation of the speakers would be done by the Committee appointed by Dental Council 9.3
- CDE points will be allotted only to programmes conducted by the DCI / State Dental Council
- Declaration of disclaimer for any commercial, industrial or promotional interest. The provisions 9.5 of 8.15 of Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 may be referred to in the

10. System of assessment of CDE credit points

- It would be the responsibility of the CDE provider/s conducting the programme to ensure that only valid professionals who have attended the CDE activity in full, are allotted CDE credit points. The organization may adopt any of the following measures for prompt allotment of
 - 10.1.1 Bar Code at Entry and Exit level
 - 10.1.2 Speaker will be given a code at the beginning and end of the lecture. The code envelope shall be opened just before the lecture.
 - 10.1.3 One observer appointed by the concerned State Dental Council shall be present during the programme. The observer shall put his/her signature on every CDE
- The Organization shall submit the entire data of the attendees to the State Councils within a 10.2 month of the programme, otherwise the allotted CDE points will not be valid. Simultaneously, the State Dental Councils would also ensure proper assessment of CDE points (preferably online) as above and would develop a mechanism for the same.

The information would be in format:

SI. No.	Name	Registration Number	84-1-1		
		of the State Dental	WODIIO	Email	CDE code allotted by the State Council

Note: The registration/recognition of the Organization/s, that do not adhere to the above guidelines, may be withdrawn as a CDE provider.

The system of assessment is to be based on a self declaration format to be submitted to the DCI /State Dental Council every 5 years by the practitioner in which he or she would detail the number of credit hours achieved in this period and a signed declaration of submission of proof of attendance in terms of certificates participation, registration receipts etc. If required. The State Dental Councils are advised to electronically update the database of the CDE for its successful implementation. A random audit system would be used to monitor the

Role of Dental Colleges as CDE providers

All the DCI recognized dental institutions are advised to set-up an independent department for Continuing Dental Education manned by a designated faculty, to work as nodal centers for CDE activities for the concerned State. The colleges are advised to conduct at least one CDE program of clinical interest every quarter including essential areas viz. Professional Ethics, Bio-medical Waste Management, Infection Control, Basic Life Support System, Radiation Hazard Prevention, NACO


protocols etc. Moreover, the dental college shall conduct at least two free of charge CDE programs in

Distance mode / Online mode of Continuing Dental Education 12

The Dental Council of India AND State Dental Council would develop an Institute based online CDE programmes on basic and emerging areas and CDE point for them will be decided by DCI / State

- Certification for those who complete certain number of hours in a particular year 13.
 - The State Dental Council will issue a certificate of attendance to the attendees, as per the approved CDE activity. The Certification is only for a testimonial for attendance and CDE points. The CDE activity shall not be projected as diploma/mastership/post-graduation/fellowship/perceptorship/assistantship. The Certificate should not carry any
 - CDE points accrued by virtue of international institutions and valid Organization, approved by 13.2 DCI, may be construed as valid CDE points by State Councils.
 - in case of an Indian Association/Institutions holding conference outside the country, the CDE 13.3 points will be given by the concerned State Dental Council where the Secretariat of the said
- CDE Certification guidelines for State Dental Councils and institutions 14.

The specimen design of the certificate is as follows:-



Note: The sponsors name or logo shall not be printed on the certificate

15. Self Assessment Forms for CDE points

DENTAL COUNCIL OF INDIA SELF DECLARATION

For the Block Year 01.04.20 to 31.03.20

- I have fulfilled/I have to fulfil the mandatory CDE requirement for the above mentioned block year.
- I have submitted / I will submit the necessary documentary proof in support of verifiable CDE points.
- have earned / will earn......CDE Points in the year.....

- I am aware about CDE Program and I will attend the CDE Program and will submit the relevant documents wherever it is necessary.
- Whatever stated herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Name		
Father/Mother's Name		
Date of Birth		
Registration No		
Address		
Phone	Mobile	
Email ID		
Dated		

Dated:

Signature

16. Appreciation from State Dental Council

The concerned State Dental Council will issue an appreciation Certificate to the CDE Speakers /CDE providers who conducts the maximum number of CDE programmes in a calendar year.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./231/18]

राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग Ш-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद 28, 1940

No. 357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-97(2)-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत भारतीय दन्त परिषद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार की अग्निम स्वीकृति के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 27.06.2014 के भाग III खंड 4 में प्रकाशित एवं अधिसूचित मूल "संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014" में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:---

- 1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:---
 - (i) इन विनियमों को संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियमों का मसौदा, 2018 कहा जा सकता है।
 - (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
- 2. "संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014" में विनियम 8.9.6 के बाद एक नया विनियम 8.9.7 निम्नवत प्रविष्ट किया जाएगा:-

"8.9.7 सतत दन्त शिक्षा कार्यक्रमों के भाग के रूप में पेशेवर बैठकों में भागीदारी करके अपने पेशेवर ज्ञान को समृद्ध न बनाना।"

डॉ सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-]]]/4/असा./233/18] फ़ुट नोट : मूल विनियम, नामतः संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014 का प्रकाशन 27.06.2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III खंड 4 में हुआ था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-97(2)-2018.—In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendment to the existing Principal "Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014" published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 27.06.2014:-

- Short title and commencement:-
 - These Regulations may be called the Draft Revised Dentists (Code of Ethics) (2nd Amendment) Regulations, 2018.
 - They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In the "Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014", after Regulation 8.9.6, a new regulation 8.9.7 shall be inserted as under:-

"8.9.7 Not enriching his/her professional knowledge by participating in professional meetings as part of Continuing Dental Education programs."

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./233/18]

Foot Note: The Principal Regulations, namely, the Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on